न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2020-00295 RAAJodhpur2020-116RTA223 Jodharam etc VS Lrs of Khetaram etc

01. जोधाराम पुत्र किरताराम
02. लूणाराम पुत्र किरताराम
03. अणदाराम उर्फ आनंदीलाल पुत्र किरताराम सभी जातियान् प्रजापत, निवासीगण- मगरा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

न

म

01. खेताराम पुत्र चौखाराम के कायम मुकामः -'
    a. सोहनराम पुत्र खेताराम
    b. अलसाराम पुत्र खेताराम
    c. मांगी पत्नी दगड़ाराम
    d. रम्भादेवी पत्नी खेताराम
02. जसाराम पुत्र पाबूराम
03. राणाराम पुत्र पाबूराम
04. डूंगरराम पुत्र पाबूराम
05. रावलराम पुत्र पाबूराम
06. हरूराम पुत्र पाबूराम
07. लाचुराम पुत्र पाबूराम
08. छगनाराम पुत्र पाबूराम
09. भूपतराम पुत्र पाबूराम
10. झमकू पत्नी पाबूराम
    सभी जातियान् कुम्हार निवासीगण- मगरा लोहावट तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
11. रूपाराम पुत्र उतमाराम
12. धुड़ाराम पुत्र उतमाराम
13. जगमालराम पुत्र उतमाराम
14. घेवरराम पुत्र किशनाराम
15. नारायणराम पुत्र किशनाराम
16. श्रीराम पुत्र किशनाराम
17. शंकरराम पुत्र किशनाराम
18. भगवानराम पुत्र किशनाराम
19. मनोहरलाल पुत्र किशनाराम
20. मांगी पत्नी किशनाराम
21. इमरताराम पुत्र उकाराराम के कायम मुकामः -
    a. बाबुलाल पुत्र इमरताराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

b. सावतराम पुत्र इमरताराम
c. बनाराम पुत्र इमरताराम
d. शंभूराम पुत्र इमरताराम

22. पोकरराम पुत्र उकाराराम
23. खमादेवी पत्नी जगुराम
24. गणेशराम पुत्र जगुराम
25. पूनाराम पुत्र जगुराम
26. प्रकाशराम पुत्र जगुराम
27. धर्माराम पुत्र जगुराम
28. निम्बुराम पुत्र जगुराम
29. भोमराज पुत्र जगुराम
30. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल
31. मूलाराम पुत्र मांगीलाल
32. पपूराम पुत्र मांगीलाल
33. सुगनाराम पुत्र मांगीलाल
34. रावतराम पुत्र मांगीलाल
35. सामाराम पुत्र मांगीलाल
36. सुखराम पुत्र मांगीलाल
37. भूरी पत्नी मांगीलाल
38. मोहनराम पुत्र केवलराम
39. जयराम पुत्र केवलराम
40. सुगनाराम पुत्र नाराराम
41. स्वरूपी पुत्री बगडूराम
42. मनोहरराम पुत्र नाराराम
43. रामचन्द्र पुत्र हिरकन राम
44. पेमाराम पुत्र आसूराम के कायम मुकामः -

a. धनाराम पुत्र पेमाराम
b. श्रतनाराम पुत्र पेमाराम
c. भीमाराम पुत्र पेमाराम
d. गणेशाराम पुत्र पेमाराम
e. भोमराज पुत्र पेमाराम

45. बंशीलाल पुत्र झूमरलाल
46. सुखाराम पुत्र झूमरलाल
47. राजू पत्नी झूमरलाल
48. रूपाराम पुत्र जीताराम
49. तिलाराम पुत्र जीताराम
50. अणदाराम पुत्र जीताराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

51. कन्हैयालाल पुत्र जीताराम
52. मोहनराम पुत्र जीताराम
53. दुर्गाराम पुत्र जीताराम
54. सम्पतराम पुत्र जीताराम
55. सुरजनराम पुत्र आसूराम
56. जयराम पुत्र आसुराम
सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- मगरा लोहावट तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
57. भारताराम पुत्र गिरधारीराम
58. बिरदाराम पुत्र गिरधारीराम
जातियान् कुम्हार, निवासीगण- सालावास तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
59. फूसाराम पुत्र पन्नाराम के कायम मुकामः -
   a. भगाराम पुत्र फुसाराम
   b. मगाराम पुत्र फुसाराम
   c. सुमेरराम पुत्र फुसाराम
   d. हवा पत्नि फुसाराम
60. रूपो बैवा सुरताराम (फौत होने से नाम डिलीट)
61. गुमानाराम पुत्र सुरताराम
62. सतुराम पुत्र सुरताराम
63. मनोहरलाल पुत्र सुरताराम
64. हरदासराम पुत्र सुरताराम
65. जगुराम पुत्र चुनाराम
66. हणुताराम पुत्र विशनाराम
67. भोमाराम पुत्र विशनाराम
68. बगतु पत्नी विशनाराम
69. भंवरलाल पुत्र धूड़ाराम
70. लूणाराम पुत्र धूड़ाराम
71. दुर्गाराम पुत्र धूड़ाराम
72. करनाराम पुत्र धूड़ाराम
73. हरचंदराम पुत्र धूड़ाराम
74. गुमानाराम पुत्र किरताराम
75. कालूराम पुत्र किरताराम
76. सुरजाराम पुत्र किरताराम
77. ओमप्रकाश पुत्र किरताराम
78. कानाराम पुत्र किरताराम
79. मूलाराम पुत्र किरताराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- मगरा लोहावट, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
80. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर फलोदी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जून 2017 राजस्व वाद संख्या 330/2013 संशोधित वाद संख्या 567/2016 खेताराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री किशनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
श्री छैलाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 21/1 से 21/4, 22, 23, 29
श्री जगदीश चंद्र विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 54, 56 व 76
श्री प्रेम दुग्गर, श्री मनोज प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1/1 से 1/4, 3 से 9, 75 से 79,
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 80

नि र्ण य

दिनांक : 12 अक्टूबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जून 2017 राजस्व वाद संख्या 330/2013 संशोधित वाद संख्या 567/2016 खेताराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को पेश की गयी है।

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम अपील प्रस्तुति में हुई देरी का माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक से दस ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी के समक्ष पेश किया गया, फलस्वरूप न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.02.2014 मुकर्रर की गई। इस प्रकार पत्रावली न्यायालय में चलती रही तथा तारीख पेशी 02.05.2014 को प्रति वादी संख्या 1,21,3,11,12,20,18,57,59,60,54,54 की ओर से अधिवक्ता जुगलसिंह चौहान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। तारीख पेशी दिनांक 09.03.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 14,15,16,22,26,51,62,63,67,68,69 की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चौहान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 24.04.2015 को मुकर्रर की गई, साथ ही तारीख पेशी दिनांक 24.04.2015 को अधिवक्ता वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 का प्रस्तुत किया गया। आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.12.2015 को जो आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण द्वारा एजराज नहीं होने से स्वीकार किया गया तथा वकील वादी को संशोधित वाद शीर्षक पेश करने व प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत के साथ आगामी तारीख पेशी 21.12.2015 मुकर्रर की गई। उपरोक्त हिदायत के पश्चात वकील वादी द्वारा तारीख पेशी दिनांक 21.12.2015, 27.01.2016 व 16.03.2016 तक कोई वाद शीर्षक पेश नहीं किया गया। तारीख पेशी दिनांक 16.03.2016 को प्रतिवादी संख्या 13,19,21,23,27,37,38,40,41,42,44,45,46,70 की ओर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से वकील श्री गंगाराम प्रजापत द्वार वकालतनामा पेश किया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 11.05.2016 मुकर्रर की गई। तारीख पेशी दिनांक 11.05.2016 को पत्रावली रखी नहीं गई और न ही कोई कार्यवाही की गई। अचानक ही दिनांक 28.06.2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प लोहावट विशनावास में रखी गई और अंतिम आदेश व डिक्री पारित किया गया, जिसके विरुद्ध आलोच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट जो कि वाद में प्रतिवादी संख्या 33,34,35 के रुप में पक्षकार है, को न तो कभी नोटिस दिया एवं न ही कोई सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त करने योग्य है। तारीख पेशी दिनांक 16.03.2016 से दिनांक 11.05.2016 को मुकर्रर की गई, जिसमें पत्रावली केम्प कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया एव न ही अधिवक्ता को किसी प्रकार से हिदायत दी गई। नियमानुसार मामला सुनवाई हेतु केम्प कोर्ट में मुकर्रर करने से पूर्व कोर्ट को नोटिस देना आवश्यक था। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट का कोई नोटिस नहीं दिया गया और पत्रावली केम्प कोर्ट में रख कर आदेश एवं डिक्री पारित कर दी गई जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रतिवादी के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही वाद को स्वीकार किया गया एवं नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

केम्प कोर्ट में प्रतिवादी उपस्थित हुए फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया जो विधि विधान संचिका के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वाद अन्तर्गत धारा 88 के तहत नियमानुसार जवाब प्रस्तुत होने पर तनकियात कायम करने चाहिए थे और तनकीयात कायम करने के पश्चात प्रत्येक तनकियात का मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में न तो तनकियात कायम की और न ही साक्ष्य के आधार पर तनकियात को निर्णय किया गया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कानूनी व तथ्यों की भूल की गई, साथ ही तकनीकी भूल करते हुए साक्ष्य व दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए संचिका के विपरीत जाकर आदेश व डिक्री पारित की गई है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश व डिक्री पारित किये गये है वो अपने आप में पूर्ण आदेश की परिभाषा में नही आता है एवं न ही समझने लायक है। न्यायालय द्वारा विरोधाभाषी आदेश पारित किया गया तथा वाद में एक प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी का प्रस्तुत करने पर संशोधित आदेश व डिक्री पारित किये गये है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वह आदेश व डिक्री पारित किया गया है जो स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वाद में वर्णित खसरा संख्या 258 रकबा 234 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 261 रकबा 57 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 260 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सरहद ग्राम लोहावट बीबी के मूल खातेदार हुकमाराम के वारिसान् है जो निम्न प्रकार है।

हुकमाराम

गोकलराम | अन्नाराम | गोदूराम | शिवदान | भलूराम

उक्त हुकमाराम के पांच संतान पैदा हुई, जिसके प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है, जिसमें अपीलांट भलूराम के वारिसान् है, इनमें से शिवदान लाऔलाद फौत होने के कारण शिवदान का हिस्सा निहित हो गया है, इस कारण अपीलांट का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा बनता है तथा मौके पर अपीलांट का 1/4 हिस्से पर काबिज है और इसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को आदेश व डिक्री पारित करना चाहिए था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड की अनदेखी करते हुए आदेश व डिक्री पारित कर दी जो निरस्त करने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अपीलांट को जमाबंदी की आवश्यकता होने पर दिनांक 13.07.2020 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, तब जमाबंदी नकल देखने पर न्यायालय के आदेश का अंकन होने की जानकारी होने पर अपीलांट न्यायालय गया और न्यायालय में अधिवक्ता से पता किया तथा आदेश व डिक्री की सत्यप्रति प्राप्त करने हेतु न्यायालय में दिनांक 24.08.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया तथा फलस्वरूप अपीलांट को आदेश व डिक्री की सत्यप्रति दिनांक 25.09.2020 को प्राप्त हुई तथा सत्यप्रति अपने अधिवक्ता को दिखाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। इस दरम्यान लॉकडाउन होने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अब लॉकडाउन में छूट होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील में लगने वाले खर्चे की व्यवस्था कर आज श्रीमान् के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है, जो लॉकडाउन के कारणों व जानकारी के अंदर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर देरी से अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, इस कारण अपील प्रस्तुति में हुई देरी माफ करने योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश व डिक्री दिनांक 28.06.2016 व संशोधित आदेश व डिक्री दिनांक 27.06.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

जवाब में विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेंट्स सं. 1/1 से 1/4, 3 से 9, 75 से 79, ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये सम्मन तलब किये जाने के उपरांत भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के निहित हिस्सों अनुसार ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई समुचित एवं विधिसम्मत कारण नहीं बताया है। अतः अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्तागण रेस्पो संख्या 21/1 से 21/4, 22, 23, 29, 54, 56 व 76 ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलांट को सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया।

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यो एव परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया।जहां अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सम्मन जारी किये जाने/तामीली रिपोर्ट/डाक रसीद इत्यादि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं कोविड-19 के कारण लॉक डाउन होने के कारण भी संतोषजनक होने से एव इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए मियाद-प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2013 को वादी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 03.02.2014 मुकर्रर की गई। तत्पश्चात पत्रावली अप्रार्थी की तलबी में चल रही थी। अधीनस्थ न्यायालय की **पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट के सम्मन जारी होने, तामील/अदम तामील लौटकर आने की रिपोर्ट आदेशिकाओं में उपलब्ध नही है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर न तो सम्मनों की सम्यक तामील किया जाना तथा न ही उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाना पाया जाता है। **पत्रावली दिनांक 11 मई 2016 को तलबी हेतु मुकर्रर थी। नियत तारीख को पत्रावली न्यायालय में पेश न होकर बिना किसी प्रकार**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की सूचना दिये सीध ही दिनांक 28 जून 2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 केन्द्र लोहावट मे प्रस्तुत हुई, जिसकी सूचना पक्षकारान् दिये जाने अथवा नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख पत्रावली पर नजर नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 33 से 35(अपीलांट्स)को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी अनुपस्थिति में दावा स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर प्रकरण में तनकियात कायम किये बिना तथा बिना किसी साक्ष्य सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है।** इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जून 2017 राजस्व वाद संख्या 330/2013 संशोधित वाद संख्या 567/2016 खेताराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर तनकीवार विश्लेषण एवं विवेचना करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28 दिसंबर 2021 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 12/X/2021

नखतदान बारहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर